तारीख हुक्म	न्यायालय अति॰ जिला कलक्टर दौसा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा॰ पत्र स्था॰ 48/2022 मेन्दू V/s मोहनलाल वगै॰	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-4-23	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी सं॰ 1/1 मोहनलाल उपस्थित। अप्रार्थी सं॰ 1/1 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री मोहरसिंह मीना उपखण्ड अधिकारी लालसोट का स्थानांतरण हो चुका है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य से सहमत होना व्यक्त किया गया। संबंधित पीठासीन अधिकारी श्री मोहरसिंह मीना उपखण्ड अधिकारी लालसोट के विरुद्ध विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण प्रस्तुत किया गया, उनका स्थानान्तरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन एवं प्रभावहीन हो जाने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन उनवानी प्रकरण मोहनलाल बनाम रामजीलाल बाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 205/2008 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थीगण मन्दू, रामजीलाल जिसरान बदरी मीना निवासी बगडी तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण सारहीन एवं प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेखा भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 05-4-2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुधीर कुमार) अति. जिला कलक्टर दौसा	मोहनलाल निर्णय प्रेषित 428 12/4/23

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official